झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1316 वर्ष 2017

प्रभास लाल रावत .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. आयुक्त, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग

3. उपायुक्त, कोडरमा ..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री जे0पी0 पाण्डेय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मो0 एम0एस0 अख्तर, जी0ए0–III

05/22.11.2017 वर्तमान रिट याचिका ज्ञापन संख्या 435 दिनांक 23.03.2016 (रिट याचिका का अनुलग्नक–8) को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के सचिव ने सर्कल अधिकारी, डोमचांच को गाँव–काशखुर, थाना संख्या–353, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1658, क्षेत्रफल 5 एकड़ भूमि पर झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार उसका है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय अनोखा लाल रावत ने कानूनी रूप से उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उसके बाद, वह और याचिकाकर्ता का शांतिपूर्ण कब्जा विवादित भूमि पर है। इसके अलावा, वे

नियमित रूप से किराया दे रहे थे और उनके पक्ष में किराया रसीदें भी जारी की गई हैं। तथापि, दिनांक 23.03.2016 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता को पता चला कि राज्य सरकार ने उक्त भूमि पर झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। यह आगे प्रस्तुत करते हैं कि राज्य प्राधिकारी कथित भूमि का कानूनी रूप से अधिग्रहण किए बिना और याचिकाकर्ता को उपयुक्त मुआवजे का भुगतान किए बिना किसी स्कूल भवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

प्रत्यर्थी सं0 3 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्वर्गीय अनोखा लाल रावत (याचिकाकर्ता के पिता) के पक्ष में भूमि के नामांतरण या किराया रसीदें जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश नहीं है। वास्तव में, किराया रसीदें याचिकाकर्ता द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि विवादित भूमि को राज्य सरकार के नाम पर 'गैर मजरूआ' के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका उपयोग लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए एक स्कूल भवन के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं कोडरमा के उपायुक्त को यह निर्देश देना उचित समझता हूँ कि वे इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करके, वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए विवाद के संबंध में उचित निर्णय लें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता और राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी दावों के गुणागुण पर विचार नहीं किया है।

तद्नुसर, वर्तमान रिट याचिका पूर्वोक्त निर्देश के साथ निपटाई जाती है।

(राजेश शंकर, न्याया0)